कार्यालय मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक /चार(भ0नियंत्रण)/09–10 103|10 दिनांक 20.02.10

मै0 सुपरटैक लि0,
सी–134 बी शोपरिक्स माल सेक्टर–61,
नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर।

आपके पत्र दिनांक 21.01.2010 मानचित्र सं0 103/10 के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग भवन निर्माण को मौहल्ला/कालोनी/ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर एवं दुल्हेडा चौहान के भूखण्ड पर निम्न लिखित शर्तो के साथ अनुमति प्रदान की जाती है स्वीकृत मानचित्र संलग्न है। उपरोक्त स्वीकृति उ0प्र0 नगर नियोजन एवम् विकास अधिनियम की धारा–15 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पॉच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिएनिर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा।विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा–35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपर्युक्त नही होगा वहॉं प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र की सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जॉंचकी जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप–नियमों के नियम 21 में अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देगें।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करन के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप–नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगें।
10. प्राधिकरण के अध्यासन (औकूपैन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यसित (ओकूयपायी) करेगें।
11. उपरोक्त शर्तो का उल्लघंन करने पर या कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।
12. स्वीकृत इकाईयों से अधिक इकाईयों का निर्माण मान्य नहीं होगा।
13. समस्त विभागों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र एक माह के अन्दर प्रस्तुत करना होगें। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्राधिकरण स्वतन्त्र होगा।
14. प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग में खसरा नं0–746, 745, 746मि0 जिनका कुल क्षेत्रफल 6826.00 वर्ग मी0 आता है, जिसपर प्रस्तावित टावर "सी" का निर्माण भू–उपयोग परिवर्तन से पूर्व अनुमन्य नहीं होगा।

मुख्य नगर नियोजक
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

15. भूखण्ड के अन्दर अदर्स लैण्ड आती तथा ग्राम समाज की चक रोड है, जिसपर निर्माण अनुमन्य नहीं होगा एवं उक्त भूमि हेतु रास्ता छोडना होगा।
16. पत्रांक सं0–493/मु0न0नि0/2010 दिनांक 25.01.10 के पत्र में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन करना होगा।
17. शासन द्वारा यदि कोई बढा हुआ शुल्क का प्राविधान किया जाता है तो बढा हुआ शुल्क आपके द्वारा देय होगा।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा–26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्नक:–स्वीकृत मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिप:–जोन प्रभारी/अवर अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
(यशपाल सिंह)
मुख्य नगर नियोजक
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ